**न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर**

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :30 / 2019

वादीगण–

1. मांगूसिंह पुत्र मगनसिंह
   जाति–राजपूत निवासीगण–सोनेली,तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. मगनसिंह पुत्र कुशालसिंह
   जाति–राजपूत निवासीगण–सोनेली,तहसील जायल (नागौर)
2. तहसीलदार जायल

उपस्थिति :–

1. श्री जीयाराम गोदारा अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री शिवकुमार पारासर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार।

**दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**निर्णय** **दिनांक :** 17/8/2024

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा सोनेली तहसील जायल में खेत खसरा नं. 28 रकबा 8 बीघा, खेत खसरा नंबर 274 रकबा 10.01 बीघा रहती चली आई है। वादी व प्रतिवादीगण ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा वाद पत्र के पैरा संख्या 9 के अनुसार कर सिंव–नींव अलग–अलग कर ली। जिसका बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी संख्या 1 मांगूसिंह को प्रतिवादी संख्या 1 मगनसिंह की भूमि मौजा सोनेली का खेत खसरा नंबर 28 रकबा 8 बीघा एवं खसरा नंबर 274 रकबा 10.01 बीघा में सहखातेदारी चाही गई है। वादी व प्रतिवादीगण के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग–अलग सींव–नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ने दिनांक 28.08.2019 को उपस्थित न्यायालय होकर ईकबाली जबाब पेश किया। जिसमें वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री जीयाराम गोदारा ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 की पहचान अधिवक्ता श्री शिवकुमार पारासर ने की। ईकबाली जबाब शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 का सम्मन स्वयं से तामील होकर अप्राप्त हुआ

17/8/2024
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 द्वारा प्रकरण के संबंध में ईकबाली जबाब पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 2 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात) की आवश्यकता नहीं होने से तय नहीं किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह मांगूसिंह पुत्र मदनसिंह,मदनसिंह पुत्र कुशाल सिंह के पेश हुये साथ नकल जमाबन्दी ग्राम सोनेली तहसील–जायल सम्वत् 2071–2074 खाता संख्या 248 प्रदर्श–1, सम्वत् 2047–2050 खाता संख्या 169 प्रदर्श–2 नकल पेश हुये, अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पत्रावली में जरिये ईकबाली जबाब वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक ईकबाली जबाब में वर्णित पैराज माफिक नजरी नक्शानुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 के हक बंट की भूमि का जरिये ईकबाली जबाब आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक ईकबाली जबाब वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त अनुसार नजरी नक्शा भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत ईकबाली जबाब दिनांक 28.08.2019 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत ईकबाली जबाब पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत ईकबाली जबाब दिनांक 28.08.2019 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ने आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा तथा माफिक नजरी नक्शानुसार काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है। हमारी राय में मौजा कमेड़िया के वादग्रस्त खेतायों में वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 के साथ सहखातेदार के रूप में संयोजित होकर प्रतिवादी संख्या 1 के साथ खातेदार के रूप में अपना नाम दर्ज करवा सकते है अतः हम वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

## – : : आदेश : : –

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है।

1. **यह है कि मौजा सानेली के खेत खसरा नंबर 28 रकबा 8 बीघा, खसरा नंबर 274 रकबा 10.01 बीघा में वादी संख्या 1 मांगूसिंह को प्रतिवादी संख्या 1 मगनसिंह के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है।**

निर्णय आज दिनांक 17/8/2024 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

17/8/2024
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

## अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
## (आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

वादीगण–

राजस्व वाद संख्या :30 / 2019

1. मांगूसिंह पुत्र मगनसिंह
   जाति–राजपूत निवासीगण–सोनेली,तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. मगनसिंह पुत्र कुशालसिंह
   जाति–राजपूत निवासीगण–सोनेली,तहसील जायल (नागौर)
2. तहसीलदार जायल

उपस्थिति :–

1. श्री जीयाराम गोदारा अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री शिवकुमार पारासर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार।

**दावा अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**– : : डिक्री आदेश : : –**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री जीयाराम गोदारा अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 हाजरी श्री शिवकुमार पारासर व प्रतिवादी संख्या 2 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि –

1. **यह है कि मौजा सानेली के खेत खसरा नंबर 28 रकबा 8 बीघा, खसरा नंबर 274 रकबा 10.01 बीघा में वादी संख्या 1 मांगूसिंह को प्रतिवादी संख्या 1 मगनसिंह के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है।**

17/8/2019

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

राजस्व वाद 30/2019
मांगुसिंह बनाम मगनसिंह

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ....17/8/2024...... को जारी की गई।

| मुदायराह | रूपया | पैसे | मुदायराह | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | वजह सबूत महनताना वकील | | |
| महनताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| फीस कमिश्नर | | | फीस कमिश्नर | | |
| बाबत् इजराज हुक्मनामा | | | बाबत् हुराय हुक्मनामा | | |
| मुतफरिक | | | मुतफरिक | | |
| | | | दर0 तलबाना | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर [illegible] हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

17/8/2024

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)